न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

प्रार्थी	ब ना म	अप्रार्थीगण
नेमाराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी		बन्नाराम कड़वा पुत्र बालूराम जाट नि. हनुमानपुरा वगैरह

राजस्व प्रार्थना–पत्र = प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर = 33 /2024 **GCMS No.2024/67**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21.03.2024	प्रार्थी वकील द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक–पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 26.04.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पलाड़ा पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 49 में अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 बिना विधिवत भू–विभाजन के बेचान, रहन, बख्शीश, हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे, अप्रार्थी सं. 6 किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे, अप्राथी सं. 5 मौके वं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 26.04.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)	
26.04.24	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 13/05/24 को पेश हो।	
30/04/2024	वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली [illegible] नम्बर पर [illegible] किया है कि [illegible] के मद्य आपसी [illegible] से एक ही [illegible] प्रार्थी का [illegible] प्रार्थी [illegible] होकर नम्बर के साथ होकर अंतिम दस्तखत हो।	नेमाराम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 15:30:48 IST
Reason: SelfAttested